

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 1927 /531/सीसी/12/38

भोपाल, दिनांक 22.12.12

प्रति,

अध्यक्ष,  
म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,  
ज्ञान वाटिका,वाल्मी रोड,  
एक्सीलेंस कॉलेज के सामने  
कलियासोत डेम,  
भोपाल।

विषय:-एससी,एसटी के छात्रों के लिए पीएचडी छात्रवृत्ति- आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय  
भोपाल।

संदर्भ:-कुलसचिव,आईसेक्ट निजी विश्वविद्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1064 दिनांक  
26.10.12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा  
नीतिगत निर्णय लिया गया है कि पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की तरह ही निजी विश्वविद्यालयों में  
अध्ययनरत एससी,एसटी के छात्रों को भी पीएचडी करते समय राज्य शासन की योजना  
अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदाय की जावे ।

अतः म.प्र.निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा  
26(1) (म) एवं धारा 36(11) के प्रावधान अनुसार समस्त निजी विश्वविद्यालयों को इस  
संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी कर , की गई कार्यवाही से इस  
विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(Signature)

अवर सचिव

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय,

पू.क्रमांक 1928 /531/सीसी/12/38  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22.12.12

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. सचिव, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, एक्सीलेंस  
कॉलेज के सामने कलियासोत डेम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही  
प्रेषित है ।

(Signature)

अवर सचिव

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(Signature)  
10/11/12  
19 dec 12  
सचिव  
जारी

कृपया प्र.  
म.प्र.निजी  
(Signature)

(Signature)  
10/11/12  
सचिव